न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्र.सं. 02 राजगढ, जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी	-	श्री सागर माथुर, (आर.जे.एस.) (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण सीआईएस नंबर	-	30/2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	57/18
पुलिस थाना	-	सिद्धमुख

राजस्थान राज्य

--अभियोगी

बनाम

भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश, उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्वालीसर, पुलिस थाना सिद्धमुख, जिला चूरू।

-अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 506, 509, 109, 450, 376(2) भारतीय दंड संहिता

उपस्थितः-

01. श्री तेजपाल सिंह पूनियां, अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सिंह, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 20.07.2026**

1. इस प्रकरण के संक्षित में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.04.18 को वक्त 12.30 एएम पर रामनारायण सहायक उपनिरीक्षक मय जांच अधिकारी के समक्ष शकुन्तला पत्नी बलवान सिंह, निवासी ग्वालीसर, पुलिस थाना सिद्धमुख, जिला चूरू, हाल जैर इलाज ईमरजेन्सी वार्ड बैड नं. 03, सपरा अस्पताल हिसार ने बयान किया कि दिनांक 26.3.2018 को पड़ोसी राजवीर के मोबाइल पर फोन आया। राजवीर ने उसकी बच्ची आस्थी को बुलाकर कहा कि उसके पापा का फोन है, पर नम्बर देखकर पता चला कि उसके पति बलवान सिंह का फोन नहीं था। उसके पति ने मिन्टू पुत्र करतार सिंह के माध्यम से राजवीर से सम्पर्क किया, बाद में राजवीर के लड़के नवीन ने फोन पर आये नम्बर बताए। जिन पर बात करने पर सामने वाले ने अपना नाम भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्वालीसर बताया तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी। भूपसिंह पहले भी उसे टार्चर करता था तथा घरवालों को बताने पर उसे व उसके बच्चों को उठवा देना व उसके साथ गलत करने का कहकर धमकी देता था, जिस कारण उसने डर से घरवालों को कोई बात नहीं बताई। दिनांक 26.03.2018 को उसने अपने पति को सारी बात बताई। दिनांक 08.04.2018 को भूपसिंह के डर की वजह से उसने खेत में रखी चूहा मारने की दवाई खा ली तथा फोन कर उसके पति बलवान सिंह को बताया।

इसके बाद उसका पति व उसके ससुर मोटरसाइकिल पर खेत में आये, उसे झुम्पा हरियाणा लेकर गये तथा सपरा अस्पताल हिसार में ईमरजेन्सी वार्ड बैड नं. 03 पर इलाज हेतु भर्ती करवाया.......इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सिद्धमुख में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2018 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त भूपसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र श्रीमान अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 01 में पेश किया। जहां प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात यह प्रकरण विधिवत्त सुनवाई व निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। जहां यह प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 376 (2), 506, 509, 109 के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्त ने अपराध से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गयाः-

गवाह संख्या	**गवाह का नाम**
पी.डब्ल्यू-01	शकुंतला
पी.डब्ल्यू-02	सुभाषचंद्र
पी.डब्ल्यू-03	बलवान सिंह
पी.डब्ल्यू-04	राजवीर
पी.डब्ल्यू-05	संतोष
पी.डब्ल्यू-06	लीलाधर
पी.डब्ल्यू-07	डॉ. मधु सैनी
पी.डब्ल्यू-08	ओम प्रकाश
पी.डब्ल्यू-09	रामनारायण
पी.डब्ल्यू-10	रामविलास विश्नोई
पी.डब्ल्यू-11	डॉ. राकेश कुमार
पी.डब्ल्यू-12	डॉ. रूपेंद्र कुमार शर्मा
पी.डब्ल्यू-13	हरपाल सिंह

4. दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गएः-

प्रदर्श दस्तावेजात	**नाम दस्तावेजात**
प्रदर्श पी-01	पर्चा बयान शकुंतला देवी
प्रदर्श पी-02	नक्शामौका घटनास्थल
प्रदर्श पी-02 ए	हालात मौका

प्रदर्श पी-03	नक्शामौका घटनास्थल
प्रदर्श पी-03 ए	हालात मौका
प्रदर्श पी-04	चिकित्सकीय दस्तावेज
प्रदर्श पी-05	परिवादिया शकुंतला के धारा 164 के बयान
प्रदर्श पी-06	पुलिस बयान सुभाषचंद्र
प्रदर्श पी-07	पुलिस बयान सुभाष
प्रदर्श पी-08	पुलिस बयान बलवान सिंह
प्रदर्श पी-09	पुलिस बयान बलवान
प्रदर्श पी-10	पुलिस बयान राजवीर
प्रदर्श पी-11	एफएसएल हेतु अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी-12	प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी-13 व 14	रोजनामचा विवरण की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी-15	परिवादिया के चिकित्सा संबंधी दस्तावेज
प्रदर्श पी-16	पर्चा बयान लेने बाबत तहरीर
प्रदर्श पी-17	डिस्चार्ज स्लिप
प्रदर्श पी-18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
प्रदर्श पी-19	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी-20	फर्द कारण गिरफ्तारी अभियुक्त
प्रदर्श पी-21	फर्द सूचना गिरफ्तारी अभियुक्त
प्रदर्श पी-22	मेडिकल मुआयना बाबत पत्र
प्रदर्श पी-23	अभियुक्त के मेडिकल मुआयना बाबत पत्र
प्रदर्श पी-24	अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट
प्रदर्श पी-25	पीड़िता के इलाज संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत पत्र
प्रदर्श पी-26	पीड़िता के धारा 164 सीआरपीसी के बयानों हेतु सम्मन बाबत पत्र
प्रदर्श पी-27 व 28	एफएसएल रिपोर्ट
प्रदर्श पी-29	अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट

5. अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी-01 लेटर्स, प्रदर्श डी-02 शकुंतला देवी के पुलिस बयान को प्रदर्शित करवाया गया।

6. उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। अपर लोक अभियोजन ने दौराने

बहस यह तर्क दिए हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से सभी मुख्य गवाहान को परीक्षित करवाया गया है जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पूर्ण रूप से अभियोजन कहानी की ताईद की है। ऐसे में अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। जिस कारण अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि प्रकरण के सभी मुख्य गवाहान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुए हैं व अभियोजन कहानी का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। स्वयं परिवादिया के न्यायालय के समक्ष हुए कथनों में स्पष्ट विरोधाभास है। परिवादिया को डराने-धमकाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। परिवादिया द्वारा स्वयं के साथ जो बलात्कार होने के संबंध में तथ्य बताए हैं उसके संबंध में कोई भी संपुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हैं। अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है जिस कारण अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया तथा प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार हैः-

"आया अभियुक्त भूपसिंह ने दिनांक 26.03.2018 या उससे पूर्व किसी दिनांक को व समय पर ग्वालीसर में स्थित परिवादिया 'एस' के घर में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रवेश कर गृह अतिचार करते हुए परिवादिया की इच्छा व सहमति के बिना बार-बार जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्कार कर उसका यौन शोषण किया एवं परिवादिया की लज्जा का अनादर करने के लिए उसे परेशान कर, उस पर ताने-फब्बे कसकर, उसके साथ उल्टी सीधी हरकत कर व उसके नहाते समय खींची गई फोटो को नेट पर डालकर उसे बदनाम करने की धमकी देकर दुष्प्रेरण का अपराध किया, जिससे दुष्प्रेरित होकर परिवादिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चूहे मारने की दवाई का सेवन किया?

यदि हां तो दंड?"

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार हैः-

10. सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.06.2026 को परिवादिया तथा

अभियुक्त के मध्य राजीनामा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 506, 509 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को तस्दीक किया जाकर दिनांक 16.07.2026 को अभियुक्त भूपसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 506, 509 भारतीय दंड संहिता में जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है तथा अभियुक्त भूपसिंह के विरूद्ध शेष रहे अपराध अंतर्गत धारा 450, 376(2) तथा 109 भारतीय दंड संहिता के तहत विचारण शेष है।

11. **गवाह पी.डब्ल्यू-01 शकुंतला ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि दिनांक 26.03.2018 को उसके पड़ोसी काका ससुर राजबीर पुत्र श्योपाल के मोबाईल पर फोन पर फोन आया। राजवीर ने उसकी बच्ची आस्थी, जो बाहर खेल रही थी, को बुलाकर कहा कि उसके पापा का फोन आया हुआ है, उसकी मम्मी से बात कराओ। फिर उसकी लड़की राजवीर का फोन लेकर उसके पास आई, उसने फोन पर हैलो किया तब फोन कट गया था। फिर उसी समय उस नंबर से वापस कॉल आया तो उसने नंबर देखा तो उसके पति का नंबर नहीं था इसलिए उसने फोन बिना उठाए वापस दे दिया था। उसकी लड़की आस्थी ने फोन राजवीर को वापस दे दिया। फिर उसने अपने पति के पास फोन कर पूछा कि आपने राजवीर काका के पास फोन किया था तब उसके पति ने मना कर दिया कि उसने फोन नहीं किया। फिर उसके पति ने उसके काका ससुर राजवीर के घर फोन किया तो राजवीर के लड़के ने जिस नंबर से फोन आया वे नंबर बताए। फिर उस नंबरों पर उसके पति ने फोन किया तो पूछा उसने अपना नाम भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्वालीसर होना बताया। फिर भूपसिंह ने उसके पति के साथ गाली गलौच की। फिर उसके पति ने उसके पास फोन कर बताया कि ये नंबर भूपसिंह के हैं। फिर उसने अपने पति को पीछे की सारी घटना बताई। उसने अपने पति को बताया कि वह घर से बाहर जाती, तब गली में भूपसिंह उसके साथ उलटी सीधी हरकता करता था तथा उसके नहाती की फोटो उसके पास है वो वह नेट पर डाल देगा। वह उसके साथ जो मन में आएगा वो करेगा। अपने घरवालों को बताएगी तो वह उसे बदनाम कर देगा। उसका कहना नहीं मानेगी तो उसके बच्चों को उठवा देगा व मरवा देगा व उसके पति को मरवा देगा। फिर वह भूपसिंह से डर के मारे खेत में जहर खा लिया था। उसका पति घर पर नहीं होता व और कोई नहीं होता तो भूपसिंह जबरदस्ती उसके घर आता व उसके साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाता था। नाजायज संबंध से उसका मतलब गलत काम से है। उसने जहर खाते ही अपने पति को फोन कर बता दिया था तब

उसका पति व ससुर मोटरसाइकिल लेकर आए। फिर उसे हिसार सपरा अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाया। फिर सपरा अस्पताल हिसार में पुलिस वाले आए, जिन्होंने उसके बयान लिए थे। पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसके आधार पर पुलिस थाना सिद्धमुख में मुकदमा दर्ज हो गया। घटनास्थल का नक्शामौका पुलिस तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी-02 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके व सी से डी स्थान पर उसके पति के, ई से एफ उसके ससुर सुभाषचंद्र के हस्ताक्षर हैं। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-03 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके सी से डी स्थान पर उसके पति के, ई से एफ उसके ससुर के हस्ताक्षर हैं। उसका मेडिकल मुआयना हुआ था, जो प्रदर्श पी-04 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके व एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। सी से डी स्थान पर उसके आंतरिक अंगों की जांच व बलात्कार संबंधी व सैंपल बाबत सहमति का अंकन है। अस्पताल में उसने अंडरवियर दी थी। उसके न्यायालय के समक्ष धारा 164 के बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी-05 है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया है कि भूपसिंह के मोबाइल नंबर उसे ध्यान नहीं थे। दिनांक 26 को उसके पति को उसके साथ हुई सभी बातों का पता चल गया था। वह अस्पताल में पूर्ण होश-हवास में नहीं थी, जब पर्चा बयान हुए। भूपसिंह द्वारा उसके साथ किए गए कृत्य की सारी बातें उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 में लिखवा दी थी। गवाह ने कथन किया कि उस दिन उसने पुलिस को अपने साथ भूपसिंह के द्वारा किए गए कृत्य बता दिए थे। भूपसिंह से उसकी मुलाकात घटना से तीन-चार साल पहले हुई थी। उसकी भूपसिंह से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, बल्कि वह जबरदस्ती घर में घुस आता था। भूपसिंह ने उसे उसकी दो-चार फोटो दिखाई थी और नहीं दिखाई थी। यह फोटो विवाह के एल्बम से निकाली हुई थी। जो फोटो उसके व उसके पति के विवाह की फोटो थी। भूपसिंह ने उससे जबरदस्ती लेटर लिखवाए थे जो 100-150 लेटर लिखवाए थे। भूपसिंह एक पत्र उसके पास लिखकर भेजता था वैसा का वैसा पत्र लिखकर वापस भेज और ऐसा पत्र लिखकर घर के अंदर दीवार के ऊपर से डाल देता था क्योंकि उनका घर सटवा है और उसे घर आकर कहता था कि लिख दिया कर और घर आकर पत्र ले जाता था। भूपसिंह उसे जो पत्र देता था वह वापस ले जाता था। भूपसिंह सभी पत्र तुरंत ही ले लेता था। गवाह ने कथन किया कि वह

भूपसिंह से पीछा छुड़ाने के लिए उसको झूठ कहती थी कि यह बच्चा उसका ही है। इस सुझाव को गवाह ने स्वीकार किया कि उसने पत्र में यह बात लिखी थी, किंतु भूपसिंह ने उससे यह बात जबरदस्ती कहकर लिखवाई थी। उसने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट साहब को यह बात बता दी थी कि जो पत्र उसने भूपसिंह को लिखे, वह पहले भूपसिंह उसे लिखकर भेजता था और फिर उससे जबरदस्ती उसे लिखने के लिए कहता था। गवाह ने यह जाहिर किया कि प्रदर्श डी-01 के पेज नंबर 13 पर जो ए से बी हिस्सा में जो कटिंग की गई है वह कटिंग भूपसिंह द्वारा शब्द गलत हो जाने के कारण उससे कटवाए थे। यह कटिंग भूपसिंह ने उसके पास बैठकर जिस दिन यह लिखा था, उसी दिन करवाई थी जो कि उसके घर पर करवाई थी। उसे भूपसिंह जैसा लिखकर देता था वैसे ही पत्र उसने लिखे थे। उसके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्रदर्श डी-01 के पेज नंबर 05 का हिस्सा ए से बी उसका लिखा हुआ है। वह चार-पांच साल के दौरान अपने पति, बच्चों के साथ पीहर गई थी। उसने अपने पति, बच्चों के साथ पीहर में होते हुए भी किसी से भूपसिंह की कोई शिकायत नहीं की।

12. **गवाह पी.डब्ल्यू-02 सुभाषचंद्र ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि वह दिनांक 26.03.2018 को अपने घर पर ही था। शकुंतला उसकी पुत्रवधू है। करीब पांच साल शकुंतला खेत गई थी। खेत में क्या हुआ, उसे पता नहीं। बलवान सिंह ने उसे कुछ नहीं बताया। वह बलवान के साथ खेत नहीं गया। शकुंतला हिसार भर्ती तो हुई थी, क्यों हुई थी, उसे पता नहीं। शकुंतला ने उसे कुछ नहीं बताया। शकुंतला के साथ भूपसिंह के साथ नाजायज संबंध के बारे में उसने कुछ नहीं सुना व न ही भूपसिंह द्वारा उसकी पुत्रवधू को नाजायज संबंध बनाने के लिए परेशान करने की सुनी। पुलिस ने उनके घर व खेत का नक्शामौका तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 व 03 है जिन पर ई से एफ स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। यह गवाह पक्षद्रोही रहा। **दौराने प्रतिपरीक्षण अपर लोक अभियोजक गवाह ने कथन किया कि** उससे पुलिस ने पूछताछ की थी जो दो बार की थी तथा पुलिस ने उसके बयान भी लिखे थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी-06 है का हिस्सा ए से बी'' समय करीब......... जहर खा लिया है'' गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने सुनकर कहा कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श-07 है, का हिस्सा ए से बी'' उसकी पुत्रवधु........ नहीं बताई थी'' गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने सुनकर कहा कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिए थे। इस सुझाव को गवाह ने

स्वीकार किया कि उनका मुलजिम भूपसिंह के साथ अब राजीनामा हो गया है। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि भूपसिंह ने उसकी पुत्रवधू शकुंतला के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया हो तथा उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया हो और कहा हो कि वह उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी तो उसकी समाज में बेईज्जती करेगा व समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इस सुझाव को गवाह ने अस्वीकार किया कि भूपसिंह ने उसकी पुत्रवधू को टॉर्चर किया हो और कहा हो कि वह उसे उठा ले जाएगा तथा उसकी पुत्रवधू ने उन्हें भूपसिंह के डर के कारण उन्हें नही बताया हो और बाद में समाज में बेईज्जती के कारण चूहे की दवा खा ली हो।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू-03 बलवान सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में** उपरोक्त गवाह के समरूप ही कथन किया है तथा यह जाहिर किया है कि शकुंतला ने उनके गांव के भूपसिंह के साथ नाजायज संबंध के बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही भूपसिंह द्वारा उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने की बात उसे बताई तथा उसकी पत्नी ने उसे यह भी नहीं बताया कि भूपसिंह उसे टॉर्चर कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसकी पत्नी शकुंतला के साथ भूपसिंह ने कोई खोटा काम नहीं किया व ना ही उसे डराया धमकाया तथा ना ही उठा ले जाने की धमकी दी। पुलिस ने उनके घर व खेत का नक्शा तैयार किया था जो प्रदर्श पी-02 व 03 है जिन पर सी से डी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह गवाह पक्षद्रोही रहा। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया कि** उसके पुलिस बयान प्रदर्श-08 है, का हिस्सा ए से बी ''मेरे पिताजी..... रहती है'' गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने सुनकर कहा कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिए थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी-09 है का हिस्सा ए से बी ''दिनांक......बताई थी'' गवाह को पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने सुनकर कहा कि उसने पुलिस को ऐसे बयान नहीं दिए थे। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि दिनांक 26.03.2018 को उसकी पत्नी ने उसे बताया हो कि उसके फोन पर फोन आया है तब उसने उस नंबर को मिलाकर बात की तो वह उनके गांव का भूपसिंह बोल रहा हो तथा उसने उसके साथ गाली गलौच की हो तो उसने फोन काट दिया हो। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि उसके बाद उसकी पत्नी ने भूपसिंह द्वारा उसके साथ् जबरदस्ती बलात्कार करने व उसे टॉर्चर कर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव देता हो तथा भूपसिंह ने उसकी पत्नी शकुंतला के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया हो तथा उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया हो और

कहा हो कि वह उसक साथ संबंध नहीं बनाएगी तो उसकी समाज में बेईज्जती करेगा व समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि भूपसिंह ने उसकी पत्नी को टॉर्चर किया हो और कहा हो कि वह उसे उठा ले जाएगा तथा उसकी पत्नी ने भूपसिंह के डर के कारण उन्हें नहीं बताया हो और बाद में समाज में बेईज्जती के कारण चूहे की दवा ली हो।

14. **गवाह पी.डब्ल्यू-04 राजवीर ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि वह दिनांक 26.03.2018 को अपने घर पर ही था। उस रोज उसके पास शाम के समय बलवान के नाम से कोई फोन नहीं आया था ना ही उसने अपने फोन से बलवान के कहने पर उसकी बेटी को बुलाकर उसे बात करने के लिए फोन दिया। बाद में भी उसके पास उसी नंबर से फोन नही आया था, ना ही उसकी भूपसिंह से बात हुई, ना ही उसके लड़के नवीन को बुलाकर उसने उससे पूछा कि इसी नंबर से पहले फोन आया, तब बलवान बोल रहा था, अब यह भूपसिंह बोल रहा है, ना ही उसने अपने बेटे नवीन से उसी नंबर पर फोन मिलाकर बात कर भूपसिंह को ओलमा दिया। भूपसिंह ने उसके नंबर पर कभी कोई फोन नहीं कया। यह गवाह पक्षद्रोही रहा। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया कि** उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी-10 का हिस्सा ए से बी की दिनांक........ नंबर 9073994209 है। गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा ऐसा उसने पुलिस को नहीं बताया, पुलिसवालों ने क्यों लिख दिया, उसे नहीं पता। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि दिनांक 26.03.2018 को शाम को साढ़े चार-पांच बजे उसके पास फोन आया हो, तब उसने पूछा कौन बोल रहा है तो उसने बलवान बोलना बताया हो और अपने घर पर बात करवाने के लिए कहा हो। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि उसने बलवान की बेटी को आवाज लगाकर बुलाया हो और कहा हो कि आपका फोन आया है, बात करो तथा कुछ देर बाद उसी नंबरों से फोन आया हो और वह अपने को भूपसिंह बता रहा हो तथा उसने अपने बेटे नवीन को बताया हो कि यह फोन दो बार आ गया है और एक उसके बेटे नवीन से उक्त नंबर पर वापस फोन मिलाकर भूपसिंह को ओलमा दिया हो तो उसने फोन काट दिया हो। इस सुझाव से गवाह ने इनकार किया कि उसने उक्त नंबर बलवान के ताऊ के बेटे जयपाल को दिए हो।

15. **गवाह पी.डब्ल्यू-05 संतोष ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि दिनांक 03.05.2018 को पुलिस थाना सिद्धमुख में महिला कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत थी। उस रोज मुकदमा नंबर 57/2018 में पीड़िता शकुंतला पत्नी बलवान

के बयान थानाधिकारी की मौजूदगी में पीड़िता शकुंतला के बोले अनुसार कंप्यूटर से लिखे जाकर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किए। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने** इस सुझाव से इनकार किया कि उसकी मौजूदगी में पीड़िता शकुंतला से थानाधिकारी ने कोई पूछताछ कर बयान न लिखे हो।

16. **गवाह पी.डब्ल्यू-06 लीलाधर ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि वह दिनांक 09.05.2018 को पुलिस थाना सिद्धमुख में कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस रोज थानाधिकारी के निर्देशानुसार मालखाना इंचार्ज हरपाल ने मुकदमा नंबर 57/2018 पुलिस थाना सिद्धमुख का सील्डशुदा पैकेट मार्क ए व एक्स मय चिटठी के कागजात मालखाना रजिस्टर के क्रमांक संख्या 327 पर इंद्राज कर पुलिस अधीक्षक चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर में जमा करवाने के लिए उसे संभलवाए। उसने मुकदमा का सील्डशुदा पैकेट व चिटठी के कागजात लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर में दिनांक 10.05.2018 को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर दिनांक 11.05.2018 को अग्रेषण पत्र की प्रति व एफएसएल प्राप्ति की रसीद का मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर मालखाना इंचार्ज को संभलवाई, जिन्होंने अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द कर दी। अग्रेषण पत्र क्रमांक संख्या 988 दिनांक 09.05.2018 प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी स्थान पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। एफएसएल बीकानेर से प्राप्ति रसीद क्रमांक संख्या 820 दिनांक 10.05.2018 प्रदर्श पी-12 है। उसकी रवानगी व आमद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-13 व 14 है जिस पर ए से बी स्थान पर प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर हैं। उसके पास जब तक वजह सबूत रहा तब तक सील्डशुदा हालत में व सुरक्षित रहा। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने** इस सुझाव से इनकार किया कि उसके पास वजह सबूत पैकेट सील्डशुदा हालत में न रहे हों।

17. **गवाह पी.डब्ल्यू-07 डॉ. मधु सैनी ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2018 को सपरा अस्पताल हिसार में एमडी मेडिसन के पद पर कार्यरत थी। उस रोज पीड़िता शकुंतला पत्नी बलवान आईपीडी नंबर 201890992 पर भर्ती कर इलाज शुरू किया। पीड़िता शकुंतला के साथ वालों ने बताया कि कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है। जिस पर उन्होंने पहले पीड़िता के पेट की सफाई (Gastric lavage) कर पीड़िता की ब्लड, यूरिन आदि की जांच करवाकर उचित इलाज शुरू किया तथा पीड़िता के एडमिशन कार्ड व इजाज के

कागजात की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है तथा पुलिस थाना सिद्धमुख से रामनारायण एसआई ने पीड़िता के पर्चा बयान के लिए दी गई तहरीर की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है। एडमिशन कार्ड/फाइल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी स्थानों पर प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है जो कुल 35 पृष्ठों में है। सिद्धमुख थाना द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श पी-16 है जिस पर ए से बी स्थान पर प्राप्ति करने का अंकन व हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान पर प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर हैं। पीड़िता शकुंतला का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी स्थान पर एमओ के हस्ताक्षर है तथा सी से डी स्थान पर समय व दिनांक का अंकन है। पीड़िता शकुंतला का दिनांक 08.04.2018 से दिनांक 10.04.2018 तक भर्ती रखकर इलाज किया। पीड़िता की स्थिति इलाज के दौरान सामान्य थी तथा शकुंतला की तबीयत में सुधार होने पर दिनांक 10.04.2018 को छुट्टी दे दी। उसने दौराने इलाज पीड़िता शकुंतला के पेट से गैस्टिक फल्यूड लेकर एफएसएल जांच हेतु सील मोहर कर संबंधित अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द कर देते हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया कि** शकुंतला के इलाज के दौरान उसने शकुंतला के शरीर पर बलात्कार संबंधी कोई आलामात नहीं देखे। शकुंतला ने जहर खाया था या नहीं यह निश्चित तौर पर नहीं बता सकती। उन्होंने शकुंतला का जहर खाना उसके साथ आए व्यक्ति के कहने के आधार पर माना था। शकुंतला के भर्ती के समय उसमें जहर खाने के लक्षण मौजूद नहीं थे।

18. **गवाह पी.डब्ल्यू-08 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि दिनांक 03.05.2018 को वह पुलिस थाना सिद्धमुख में एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण संख्या 57/2018 पीएम सिद्धमुख के प्रकरण में अनुसंधान कर्ता रामविलास विश्नोई ने उसके व संदीप कुमार कॉन्स्टेबल के समक्ष अभियुक्त भूपसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी-18 से गिरफ्तार किया था जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी स्थान पर गवाह साथी कॉन्स्टेबल संदीप कुमार 1204 के हस्ताक्षर है जिसके हस्ताक्षर उसके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है।

19. **गवाह पी.डब्ल्यू-09 रामनारायण ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि वह दिनांक 08.04.2018 को पुलिस थाना सिद्धमुख में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज सपरा अस्पताल हिसार से टेलीफोन आया और बताया की शकुंतला पत्नी बलवान जैर इलाज इमरजेंसी वार्ड बेड नंबर 03 सपरा अस्पताल में

भर्ती है। जिस पर थानेदार के मौखिक आदेश से वह थाना से रवाना होकर सपरा अस्पताल हिसार पहुंचा। जिस पर थाना इंचार्ज को शकुंतला के पर्चा बयान लेने के लिए तहरीर दी। जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-16 है जिस पर ए से बी स्थान पर डॉ. द्वारा फिट फॉर स्टेटमेंट का अंकन कर हस्ताक्षर किए हुए हैं जिस पर डॉ. द्वारा प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर व ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। शकुंतला बयान देने में सक्षम होने पर उसने शकुंतला व ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। शकुंतला बयान देने में सक्षम होने पर उसने शकुंतला के पर्चा बयान उसके बोले अनुसार लेखबद्ध किए। शकुंतला के पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 है जिस पर ए से बी स्थानों पर शकुंतला के हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी स्थान पर उसके द्वारा कैम्प सपरा अस्पताल हिसार में की गई कार्यवाही पुलिस का अंकन है ई से एफ स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने सपरा अस्पताल हिसार से थाना आकर पर्चा बयान थानेदार के समक्ष पेश किया, जिस पर जी से एच स्थान पर कार्यवाही पुलिस का अंकन किया जाकर आई से जे स्थानों पर थानाधिकारी रामविलास विश्नोई के हस्ताक्षर हैं। पर्चा बयान के आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं सी से डी स्थानों पर थानाधिकारी रामविलास विश्नोई के हस्ताक्षर हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान उसने मुस्तगीसा शकुंतला देवी की निशानदेही पर घटनास्थल जहां पर मुस्तगीसा ने जहर खा कर बैठना व लेटना बताया, का नक्शामौका गवाहान की मौजूदगी में तैयार किया, जो प्रदर्श पी-02 है जिस पर ए से बी स्थान पर मुस्तगीसा शकुंतला, सी से डी व ई से एफ स्थानों पर गवाहान के हस्ताक्षर हैं जी से एच स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का हालात मौका प्रदर्श पी-02ए है जिस पर ए से बी स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा शकुंतला गवाह सुभाषचंद्र, बलवान सिंह, राजवीर के बोले अनुसार बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। उसने दौराने अनुसंधान पीड़िता शकुंतला देवी के न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध करवाए, बयानों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। पीड़िता शकुंतला के धारा 164 सीआरपीसी के बयानों के अनुसार पत्रावली में धारा 506, 109, 450, 376(2) ईजाद होने पर पत्रावली में उनके अनुसंधान में सक्षम नहीं होने के कारण पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाधिकारी रामविलास विश्नोई को सुपुर्द की गई। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया है कि** उसने पर्चा बयान लिए उस समय परिवादीनी ने अपने साथ

मुलजिम भूपसिंह द्वारा बलात्कार करने के बारे में उसे नहीं बताया। उसने शकुंतला से तसल्ली से काफी पूछताछ की तथा उसके बोले अनुसार ही उसने प्रदर्श पी-01 में पर्चा बयान लिखे थे। उसने पर्चा बयान के आधार पर धारा 506 का अपराध माना था।

20. **गवाह पी.डब्ल्यू-10 रामविलास विश्नोई ने अपने मुख्य परीक्षण में** बतौर अनुसंधान अधिकारी अपने बयान लेखबद्ध करवाए हैं तथा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को संकलित कर शामिल पत्रावली किए जाने बाबत कथन किए हैं। उसके अपने अनुसंधान से मुलजिम भूपसिंह के खिलाफ जुर्म धारा 506, 509, 109, 450, 376(2) भा.द.सं. का जुर्म प्रमाणित मानकर जरिये चार्जशीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किया है कि** प्रदर्श-01 पर्चा बयान में परिवादी ने अपने साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई बात नहीं बताई थी। उसने तो परिवादीनी द्वारा 164 के बयान व उसे बयान देने के आधार पर ही उसने 376 का अपराध भूपसिंह के खिलाफ माना। परिवादीनी ने पर्चा बयान में भूपसिंह के द्वारा राजवीर के पास फोन करना बताया है तथा राजवीर ने परिवादीनी से बात करना बताया है। इस बारे में उसने राजवीर व भूपसिंह के मोबाइल व सिम बरामद नहीं किए तथा ना ही उनकी कोई कॉल डिटेल निकलवाई थी।

21. **गवाह पी.डब्ल्यू-11 डॉ. राकेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में** बतौर एमओ अपने बयान लेखबद्ध करवाए हैं तथा कथन किया है कि उसने एसएचओ पीएस सिद्धमुख की तहरीर पर मजरूब भूपसिंह का पुरूषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना किया था। सामान्य परीक्षण में शारीरिक रूप से सामान्य था। जननांग विकसित थे। मजरूब के पुरूषत्व संबंधी सैम्पल लिए गए। उसकी राय में ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि मजरूब सैक्सुअल इंटरकॉर्स करने में सक्षम ना हो।

22. **गवाह पी.डब्ल्यू-12 डॉ. रूपेंद्र कुमार शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि दिनांक 03.05.2018 को एमओ के पद पर सीएचसी राजगढ़ में पदस्थापित था। उस रोज एसएचओ पीएस सिद्धमुख की तहरीर पीड़िता शकुंतला का रेप के संबंध में मेडिकल मुआयना करने के लिए प्राप्त हुई। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 है जिस पर सी से डी मजरूबा ने अपनी सहमति तथा एक्स स्थान पर मजरूबा की अंगूठा निशानी है। उसने पीड़िता की बाहरी व आंतरिक चोट संबंधी मुआयना किया व सैम्पल लेकर एफएसएल परीक्षण के लिए भिजवाया था। प्रदर्श पी-04 पर ई से एफ व जी से एच सैम्पलों का विवरण है व आई से जे

उसकी राय है व के से एल स्थान पर उसके हस्ताक्षर व सील मोहर का अंकन है। उसकी राय में शरीर के आंतरिक अंगों के मुआयने से यह बताना संभव नहीं है कि पीड़िता का रेप हुआ या नही। **गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया है कि** वह नहीं बता सकता कि शकुंतला के साथ बलात्कार हुआ या नहीं, तत्पश्चात कहा कि एफएसल रिपोर्ट से पता चलेगा।

23. **गवाह पी.डब्ल्यू-13 हरपाल सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में** कथन किया है कि दिनांक 09.05.2018 को वह पुलिस थाना सिद्धमुख में एचएम के पद पर पदस्थापित था। उस रोज मुकदमा नंबर 57/2018 का वजह सबूत सीएचसी राजगढ़ में डीबीएच चूरू से सील्ड पैकेट मार्क ए और एक्स लीलाधर कॉन्स्टेबल ने लाकर मालखाना में जमा करवाए थे। उसने मालखाना के रजिस्टर में क्रम संख्या 327 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-27 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी-27 ए है जिस पर ए से बी स्थानों पर मालखाना का इंद्राज व मार्क अंकित है। सी से डी स्थान पर प्रकरण का अंकन है व ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। **दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने** इस सुझाव से इनकार किया है कि लीलाधर ने उसके पास लाकर ए और एक्स सील्ड पैकेट जमा न करवाए हो।

24. अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादिया शकुंतला देवी ने घटना के संबंध में सर्वप्रथम पर्चा बयान श्री रामनारायण, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना सिद्धमुख को दिनांक 08.04.2018 को करीब 06.40 पीएम पर इलाजरत रहने के दौरान सपरा अस्पताल, हिसार हरियाणा में दिए। जिसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त पर्चा बयान में परिवादिया शकुंतला देवी ने मुख्य तौर पर यह बताया कि दिनांक 26.03.2018 को उसके पड़ोसी राजवीर ने उसकी बच्ची आस्थी, जो घर के बाहर खेल रही थी, उसको आवाज देकर बुलाया और कहा कि उसके पापा का फोन है, उसकी मम्मी से बात करवा दो। जिस पर उसकी बच्ची ज्यों ही उसके पास फोन लेकर आई तब उसने फोन लेकर हैलो कहा तो फोन कट गया। उसी समय फोन दोबारा आया, तब उसने फोन में नंबर देखकर अपनी बच्ची को कहा कि ये उसके पापा का फोन नहीं है। यह फोन वापस तेरे दादा जी राजवीर को दे दे। फिर उसने अपने पति बलवान को फोन लगाकर पूछा कि क्या उसने काका ससुर राजवीर के पास फोन किया था, तब उसके पति ने कहा कि उसने राजवीर के फोन पर कोई फोन नहीं किया। फिर उसके पति बलवान ने उसी के गांव के मींटू पुत्र करतार से फोन पर संपर्क किया और राजवीर से उसकी

बात करवाने के लिए कहा तो उसके पति से राजवीर ने बात नहीं की। थोड़ी देर बाद राजवीर के लड़के नवीन ने उसके पति से बात की व उसके पति को राजवीर के फोन पर आए नंबरों के बारे में बताया तो उसके पति ने उन नंबरों को मिलाकर बात की और पूछा की कौन बोल रहा है, तब सामने वाले ने कहा कि वह भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्वालीसर बोल रहा है और फोन पर वह उसके पति बलवान को गाली-गलौच करने लगा जिस पर उसके पति ने उसका फोन काट दिया और उसके पति ने उसे बताया कि यह फोन भूपसिंह, जो उसके गांव का है और जो उसे फोन पर दूसरी बार फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है, **तब उसने अपने पति को पीछे की सारी बात बताई।** भूपसिंह उसे पहले भी कई बार टॉर्चर कर चुका है। भूपसिंह ने उसे कहा कि यदि घरवालों को बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा व उसके बच्चों को उठवा देगा। इस डर के मारे उसने घरवालों को कोई बात नहीं बताई। दिनांक 26.03.2018 को राजवीर के फोन पर फोन आया, **तब उसने उसके पति बलवान को पीछे की सारी बात बताई,** तब उसके पति ने फोन पर कहा कि उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। उक्त पर्चा बयान के अनुसार परिवादिया ने भूप सिंह के डर की वजह से दिनांक 08.04.2018 को चूहे मारने की दवाई, जो पहले से उसके खेत में रखी हुई थी, उसको उसने खा लिया और फिर अपने पति बलवान को फोन कर चूहे मारने की दवाई खाने की बता बताई। जिसके बाद उसके पति व उसके ससुर मोटरसाइकिल पर पांच मिनट बाद ही खेत में आ गए व उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर झुम्पा हरियाणा तक लेकर आए। फिर झुम्पा से किराए पर गाड़ी कर वे तीनों उसका इलाज करवाने के लिए सपरा अस्पताल हिसार में उसे भर्ती करवाया।

25. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के मद्देनजर परिवादिया श्रीमती शकुंतला देवी द्वारा दिनांक 08.04.2018 को श्री रामनारायण, सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना सिद्धमुख के समक्ष दिए गए उक्त पर्चा बयान अत्यंत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, क्योंकि पुलिस थाना सिद्धमुख द्वारा उक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 के आधार पर सर्वप्रथम मुकदमा अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात अभियोजन कहानी के अनुसार परिवादिया शकुंतला देवी के न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ के समक्ष बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में परिवादिया शकुंतला द्वारा किए गए कथनों के आधार पर मुकदमा में धारा 376 भारतीय दंड संहिता का इजाफा कर अपराध अंतर्गत धारा 376 भारतीय दंड संहिता में पाए जाने से प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी श्री

रामविलास विश्नोई को सौंपा गया। बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-05 ही वह अहम दस्तावेज है, जिसके आधार पर प्रकरण में धाराओं का इजाफा कर प्रकरण में अनुसंधान कर अभियुक्त भूप सिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 506, 509, 109, 450, 376(2)(ढ) भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

26. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय द्वारा ऊपर लेखबद्ध किए गए घटनाक्रम को यहां वर्णित करना अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के संदर्भ में परिवादिया शकुंतला देवी द्वारा अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता तथा उसके द्वारा दिए गए बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता व न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू-01 के तौर पर दी गई साक्ष्य का यदि विवेचन किया जाए तो उससे यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर परिवादिया शकुंतला द्वारा पर्चा बयान दिनांकित 08.04.2018 में उसने अभियुक्त भूपसिंह द्वारा उसे डराने-धमकाने बाबत कथन किया है, **किंतु किन कारणों से उसे अभियुक्त भूपसिंह द्वारा डराया धमकाया गया, उनका पर्चा बयान में कोई अंकन नहीं है।** वहीं दूसरी ओर परिवादिया शकुंतला द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-05 में उसने पर्चा बयान में वर्णित किए गए कथनों में अत्यधिक सुधार करते हुए यह कथन किया है कि **अभियुक्त के पास उसके नहाते हुए की तस्वीर थी और उसने उन तस्वीरों को नेट पर डालने बाबत उसे डराया व धमकाया कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी समाज में इज्जत खराब कर देगा और इस डरे के मारे उसने यह बात किसी को नहीं बताई और भूपसिंह ने उसके साथ नाजायज संबंध बनाए।** जब परिवादिया शकुंतला न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू-01 के तौर पर परीक्षित हुई तो उसने स्वयं द्वारा दिए गए बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-05 में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसकी नहाते हुई फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाए, परंतु उपरोक्त समस्त कथन, जो कि परिवदिया शकुंतला द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर पर्चा बयान प्रदर्श पी-01, बयान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-02, बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-05 में कथन किए, उनमें पर्याप्त भिन्नता है। यदि वाकई में परिवादिया शकुंतला के साथ अभियुक्त भूप सिंह द्वारा बलात्कार जैसा गंभीर अपराध किया

जाता तो अवश्य ही उसके द्वारा सहायक उपनिरीक्षक श्री रामनारायण के समक्ष दिए गए पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 में उसका अंकन होता, क्योंकि परिवादिया शकुंतला के उक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 दिनांक 08.07.2018 को सपरा अस्पताल, हिसार, हरियाणा में दर्ज किए गए। उक्त परिवादिया के बयान दर्ज करते वक्त परिवादिया पर किसी प्रकार का भय अथवा दबाव हो, ऐसा पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 के अवलोकन से कहीं भी दर्शित नहीं होता है। ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। जहां एक ओर उसने पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 में अपने पति को पीछे की सारी बात बताने का कथन किया है, वहीं दूसरी ओर परिवादिया द्वारा उसके साथ हुई बलात्कार की घटना के संबंध में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं करना बताया है। उक्त तथ्य की ताईद परिवादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष हुई जिरह में भी करते हुए उसने यह बताया है कि दिनांक 26.03.2018 को उसने अपने पति को उसके साथ हुई सभी बातों का जिक्र कर दिया था। ऐसे में परिवादिया शकुंतला द्वारा पर्चा बयान में अभियुक्त भूपसिंह द्वारा यदि वाकई में बलात्कार का कृत्य किया गया होता तो अवश्य ही उसका अंकन उक्त पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 में होता तथा उक्त पर्चा बयान की दिनांक से करीब 18 दिन पश्चात न्यायालय के समक्ष हुए बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी-05 में ही सीधे इस संबंध में जिक्र करना परिवादिया शकुंतला के न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू-01 के तौर पर दिए गए कथनों को पूर्ण रूप से संदेहास्पद बना देता है।

27. इसके अतिरिक्त परिवादिया शकुंतला ने अपने पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 में शुरूआती तौर पर जिस कहानी का वर्णन किया है उसमें उसने बताया है कि दिनांक 26.03.2018 को उसके पड़ोसी काका ससुर राजवीर के फोन पर एक फोन आया, जिसे उसकी बच्ची आस्थी लेकर आई और उसे कहा कि उसके पापा का फोन है। जैसे ही उसने फोन में नंबर देखे तो उसे पता चल गया था कि उसके पापा का फोन नहीं है, जबकि वह फोन भूपसिंह ने किया है। फिर उसके पति बलवान ने जिस नंबर से राजवीर के फोन पर फोन आया उसका पता लगाया तो उसके पति बलवान को पता चला कि राजवीर के फोन पर फोन अभियुक्त भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश ने किया था। परिवादिया द्वारा पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 में कथनों के संबंध में जब परिवादिया से न्यायालय के समक्ष जिरह की गई तो उसने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि भूपसिंह के मोबाइल नंबर उसे ध्यान नहीं।

28. पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 के अनुसार परिवादिया शकुंतला ने अपने काका

ससुर राजवीर के फोन पर अभियुक्त भूपसिंह का फोन आना बताया, जबकि उक्त राजवीर न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू-04 के रूप में परीक्षित हुआ, जो पक्षद्रोही हुआ व न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किए कि वह दिनांक 26.03.2018 को अपने घर पर ही था। उस रोज उसके पास शाम के समय बलवान के नाम से कोई फोन नहीं आया, न ही उसने अपने फोन से बलवान के कहने पर उसकी बेटी को बुलाकर उसे बात करने के लिए फोन दिया। बाद में भी उसके पास कोई फोन नहीं आया था, न ही उसकी भूपसिंह से बात हुई, न ही उसने अपने लड़के नवीन को बुलाकर उससे पूछा कि इसी नंबर से पहले फोन आया। तब बलवान बोल रहा था, अब यह भूपसिंह बोल रहा है। न ही उसने अपने बेटे नवीन से उसी नंबर पर फोन मिलाकर बात कर भूपसिंह को ओलमा दिया। भूपसिंह ने उसके नंबर पर कभी कोई फोन नहीं किया। उक्त गवाह पी.डब्ल्यू-04 राजवीर ने प्रदर्श पी-10 में वर्णित तथ्यो को भी पुलिस को बताने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। इसी संदर्भ में परिवादिया शकुंतला का पति बलवान न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू-03 के तौर परीक्षित होकर पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुआ है व सशपथ कथन किया है कि दिनांक 26.03.18 को वह अपने घर पर ही था। शकुंतला ने उसके गांव के भूपसिंह के साथ नाजायज संबंध के बारे में कुछ नहीं बताया, न ही भूपसिंह द्वारा उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाने की बात बताई। उसकी पत्नी ने उसे यह भी नहीं बताया कि भूपसिंह ने उसे टॉर्चर कर उसके साथ बलात्कार किया। उसकी पत्नी के साथ भूपसिंह ने कोई खोटा काम नहीं किया, न ही उसे उठा ले जाने की धमकी दी। उक्त गवाह बलवान ने प्रदर्श पी-08 तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी-09 में वर्णित तथ्यों को भी पुलिस को देने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उपरोक्त गवाहान पी.डब्ल्यू-03 बलवान तथा पी.डब्ल्यू-04 राजवीर के न्यायालय के समक्ष हुए बयानों से पी.डब्ल्यू-01 शकुंतला द्वारा अपने पर्चा बयान तथा न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2018 को अभियुक्त भूपसिंह द्वारा राजवीर के फोन पर फोन करने संबंधी वर्णित किए गए तथ्य कतई विश्वसनीय साबित नहीं होते हैं। साथ ही परिवादिया शकुंतला ने अभियुक्त भूपसिंह द्वारा राजवीर के फोन पर फोन करने संबंधी तथ्य को बताया है परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 26.03.2018 को राजवीर तथा बलवान के फोन की कोई भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाकर न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। स्वयं परिवादिया शकुंतला ने जब अभियुक्त भूप सिंह के मोबाइल नंबर ध्यान नहीं होने बाबत जिरह में कथन किया है। प्रकरण के अनुसंधान

अधिकारी श्री रामविलास विश्नोई पी.डब्ल्यू-10 ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि भूपसिंह द्वारा राजवीर को फोन करने के संबंध में उसने दौराने अनुसंधान दोनों की कॉल डिटेल नहीं निकलवाई। **ऐसे में परिवादिया शकुंतला द्वारा पर्चा बयान में दिनांक 26.03.2018 को अभियुक्त भूपसिंह द्वारा राजवीर के फोन पर फोन करने संबंधी किए गए कथन पूर्ण रूप से संदेहास्पद हैं।**

29. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादिया शकुंतला से जिरह के दौरान कुछ पत्रों को प्रदर्श डी-01 के तौर पर प्रदर्शित करवाया गया है जिन्हें परिवादिया शकुंतला ने अभियुक्त भूपसिंह द्वारा जबरदस्ती लिखवाया जाना बताकर स्वयं द्वारा लिखना व लिखकर उक्त लेटर्स को अभियुक्त भूपसिंह को देना बताया है। उक्त प्रदर्श डी-01 लेटर्स कुल 26 पृष्ठों का है जिनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि उक्त पत्र परिवादिया शकुंतला द्वारा अभियुक्त भूप सिंह के साथ प्रेम प्रसंग से संबंधित है जिन्हें परिवादिया शकुंतला द्वारा अभियुक्त भूपसिंह से परस्पर स्नेह के चलते उन दोनों के आपस में अंतरंगता के बारे में लिखे गए हैं। हालांकि परिवादिया ने दौराने जिरह यह अवश्य बताया है कि उक्त समस्त लेटर भूपसिंह ने उससे जबरदस्ती लिखवाए थे। भूपसिंह ही पत्र उसके पास लिखकर भेजता था। वैसे का वैसा पत्र लिखकर परिवादिया वापस भेज देती थी परंतु प्रदर्श डी-01 के पेज नंबर 13 पर ए से बी में कटिंग बाबत जब उक्त गवाह से प्रश्न पूछा गया तब उसने वह कटिंग भूपसिंह द्वारा शब्द गलत हो जाने के कारण उससे कटवाना बताया है। ऐसे में शकुंतला द्वारा जिरह में किए गए कथन परस्पर विरोधाभासी मालूम होते हैं क्योंकि जहां एक ओर उसके द्वारा यह बताया गया है कि जैसा लेटर भूपसिंह उसे लिखकर देता था वैसे का वैसा लेटर वह भी लिखकर उसे भेज देती थी। वहीं दूसरी ओर उक्त गवाह ने प्रदर्श डी-1 के पेज नंबर 13 पर ए से बी भाग में हुई कटिंग को अभियुक्त भूप सिंह द्वारा पास में बैठकर काटना बताया जा रहा है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श डी-01 पत्र परिवादिया शकुंतला द्वारा अभियुक्त भूपसिंह के पक्ष में जबरदस्ती नहीं लिखवाया गया था। यदि ऐसा होता तो अवश्य ही उससे की गई जिरह में किसी प्रकार का पत्रों के संबंध में विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष हुए बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में तथा न्यायालय के समक्ष हुए बयानों के मुख्य परीक्षण में उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त भूप सिंह उसे धमकाता कि उसकी नहाते हुए की उसके पास तस्वीर है, जिसे वह नेट पर डाल देगा। इस संबंध में जब परिवादिया पी.डब्ल्यू-01 शकुंतला से न्यायालय के समक्ष जिरह हुई

तो उक्त जिरह के दौरान परिवादिया ने यह बताया कि अभियुक्त भूपसिंह उसके घर में जबरदस्ती घुस आता था। भूपसिंह ने उसे उसकी दो-चार फोटो दिखाई थी। वे फोटो उसके विवाह के एल्बम से निकाली हुई थी। इस प्रकार यदि वाकई में उसकी वे फोटोज विवाह के एल्बम से निकालकर दिखाई गई हो तो ऐसे में परिवादिया का यह कथन कि उसके नहाते हुए की तस्वीरे परिवादिया को दिखाई जाकर डराया धमकाया गया हो, कतई स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से जो अन्य गवाहान परीक्षित करवाए गए है उनमें गवाह पी.डब्ल्यू-02 सुभाषचंद्र, जो कि परिवादिया का ससुर है, भी न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुआ है व अभियोजन कहानी के संबंध में न्यायालय के समक्ष अनभिज्ञता जाहिर की है। गवाह पी.डब्ल्यू-06 लीलाधर को अभियोजन पक्ष की ओर से वाहक के तौर पर परीक्षित करवाया है जिसने हस्तगत मुकदमे से संबंधित सीलशुदा पैकेट मार्क् ए व एक्स मय चिट्ठी के कागजात मालखाना रजिस्टर के क्रमांक संख्या 327 पर इंद्राज कर पुलिस अधीक्षक चूरू से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर में जमा करवाने के लिए उसका संभलवाना बताया है जिस पर दिनांक 10.05.2018 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर एफएसएल जमा करवाकर एफएसएल की प्राप्ति रसीद मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर मालखाना इंचार्ज को संभलाना बताया है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य औपचारिक है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू-07 मधु सैनी भी प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के अनुसार औपचारिक प्रकृति की साक्षी है जिसने दिनांक 08.04.2018 को परिवादिया शकुंतला का इलाज करना बताते हुए दौराने इलाज शकुंतला के पेट से गैसट्रिक फल्यूड लेकर जांच हेतु सील मोहर कर अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करना बताया है। उपरोक्त गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि शकुंतला के इलाज के दौरान उसने शकुंतला के शरीर पर बलात्कार संबंधी कोई आलामात नहीं देखे थे। अन्य चिकित्सीय साक्षी पी.डब्ल्यू-11 राकेश कुमार ने दिनांक 03.05.2018 को अभियुक्त भूपसिंह के पुरूषत्व संबंधी मेडिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-24 मुर्तिब करना न्यायालय के समक्ष बताया है। चिकित्सीय साक्षी पी.डब्ल्यू-12 रूपेंद्र कुमार शर्मा ने परिवादिया शकुंतला का रेप के संबंध में मेडिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-04 मुर्तिब करना न्यायालय के समक्ष बताते हुए यह कथन किया कि उसकी राय में शरीर व आंतरिक अंगों के मुआयने से यह बताना संभव नहीं है कि पीड़िता का रेप हुआ या नहीं।

31. अन्य औपचारिक साक्षीगण की सूची में अगला गवाह पी.डब्ल्यू-08 ओमप्रकाश परीक्षित हुआ है जिसने अभियुक्त भूपसिंह को अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके समक्ष जरिये फर्द प्रदर्श पी-08 गिरफ्तार करना बताया है। मालखाना के गवाह के तौर पर गवाह पी.डब्ल्यू-13 हरपाल सिंह परीक्षित हुआ है जिसने दिनांक 09.05.2018 को मुकदमा नंबर 57/2018 का वजह सबूत मालखाना में जमा कराने तथा उसका इंद्राज रजिस्टर में क्रमांक संख्या 327 पर करना बताया है।

32. प्रकरण में प्रारंभिक अनुसंधान गवाह पी.डब्ल्यू-09 रामनारायण द्वारा किया जाना उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू-09 के रूप में परीक्षित होने से स्पष्ट है। जिसने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसके द्वारा पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 के आधार पर तफ्तीश अंतर्गत धारा 506 भा.द.सं. में प्रारंभ की गई, परंतु दौराने अनुसंधान परिवादिया शकुंतला देवी के न्यायालय के समक्ष धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान लेखबद्ध करवाने के उपरांत पत्रावली में धारा 506, 109, 450, 376 (2) भा.द.सं. इजाद होने पर पत्रावली में उसके अनुसंधान में सक्षम नहीं होने के कारण पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु थानाधिकारी रामविलास विश्नोई को सुपुर्द की गई। उक्त अनुसंधान अधिकारी ने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि उसके पर्चा बयान लेते समय परिवादिया ने अपने साथ अभियुक्त भूपसिंह द्वारा बलात्कार करने के बारे में उसे नहीं बताया। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू-10 रामविलास विश्नोई द्वारा किया गया है जिसने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताया है कि परिवादिया के बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर उसने एफएसएल हेतु सैम्पल प्राप्त कर वास्ते जांच उक्त सैंपल को एफएसएल में भिजवाया और बाद अनुसंधान उसके द्वारा अभियुक्त भूपसिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 506,509,109,450,376(2) भारतीय दंड संहिता का प्रमाणित मान आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने तो परिवादिया द्वारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान व उसे बयान देने के आधार पर ही धारा 376 भारतीय दंड संहिता का अपराध भूप सिंह के खिलाफ माना था। परिवादिया ने पर्चा बयान में भूपसिंह के द्वारा राजवीर के पास फोन करना बताया है तथा राजवीर ने परिवादिया से बात करना बताया, इस बारे में उसने राजवीर व भूपसिंह के मोबाइल व सिम बरामद नहीं किए, न ही उनकी कोई कॉल डिटेल निकलवाई।

33. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए उपरोक्त गवाहान के उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष परिवादिया शकुंतला द्वारा पर्चा बयान प्रदर्श पी-01 तथा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों को अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए अन्य मुख्य गवाहान की न्यायालय के समक्ष हुई साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

34. परिवादिया शकुंतला द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता तथा न्यायालय के समक्ष हुई मुख्य परीक्षा में अभियुक्त भूप सिंह द्वारा स्वयं के साथ बलात्कार कर देने संबंधी कथन करने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त भूपसिंह द्वारा परिवादिया शकुंतला के साथ बलात्कार किया हो। अभियोजन पक्ष को यह आवश्यक था कि वह परिवादिया द्वारा बलात्कार संबंधी किए गए मुख्य कथनों को अत्यधिक सुदृढ़ साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष संदेह से परे प्रमाणित करता कि कब, किस प्रकार व किन परिस्थितियों में अभियुक्त भूपसिंह द्वारा परिवादिया शकुंतला के साथ बलात्कार किया गया। क्योंकि हस्तगत प्रकरण पूर्णतया परिवादिया की साक्ष्य पर ही निर्भर है **क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए सभी अन्य मुख्य गवाहान न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। मात्र परिवादिया द्वारा ही स्वयं के साथ अभियुक्त भूपसिंह द्वारा बलात्कार करने संबंधी कथन न्यायालय के समक्ष किए गए हैं। यह सत्य है कि अभियुक्त की दोषसिद्धी केवल परिवादिया/पीड़िता के साक्ष्य के आधार पर भी की जा सकती है परंतु जब दोषसिद्धी मात्र परिवादिया/पीड़िता के बयानों के आधार पर की जाती है तब न्यायालय को एक मात्र गवाह को जांचते वक्त बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए।** ऐसा सिद्धांत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक दृष्टांत **State of Punjab v. Gurmit Singh, (1996) 2 SCC 384** में निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है कि:-

"If evidence of the prosecutrix inspires confidence, it must be relied upon without seeking corroboration of her statement in material particulars. If for some reason the court finds it difficult to place implicit reliance on her testimony, it may look for evidence which may lend assurance to her testimony, short of corroboration required in the case of an accomplice. The testimony of the prosecutrix must be appreciated in

the background of the entire case and the trial court must be alive to its responsibility and be sensitive while dealing with cases involving sexual molestations."

35. यही सिद्धांत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Sadashiv Ramrao Hadbe v. State of Maharashtra and Another (2006) 10 SCC 92** में प्रतिपादित किया है कि:-

"It is true that in a rape case the accused could be convicted on the sole testimony of the prosecutrix, if it is capable of inspiring confidence in the mind of the court. If the version given by the prosecutrix is unsupported by any medical evidence or the whole surrounding circumstances are highly improbable and belie the case set up by the prosecutrix, the court shall not act on the solitary evidence of the prosecutrix."

36. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक दृष्टांत **Raju and others v. State of Madhya Pradesh (2008) 15 SCC 133** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-

"**10.** The aforesaid judgments lay down the basic principle that ordinarily the evidence of a prosecutrix should not be suspected and should be believed, more so as her statement has to be evaluated on a par with that of an injured witness and if the evidence is reliable, no corroboration is necessary. Undoubtedly, the aforesaid observations must carry the greatest weight and we respectfully agree with them, but at the same time they cannot be universally and mechanically applied to the facts of every case of sexual assault which comes before the court.

11. It cannot be lost sight of that rape causes the greatest distress and humiliation to the victim but at the same time a false allegation of rape can cause equal distress, humiliation and damage to the accused as well. The accused must also be protected against the possibility of false implication, particularly where a large number of accused are involved. It must, further, be borne in mind that the broad principle is that an injured witness was present at the time when the incident

happened and that ordinarily such a witness would not tell a lie as to the actual assailants, but there is no presumption or and basis for assuming that the statement of such a witness is always correct or without any embellishment or exaggeration."

37. परिवादिया तथा अभियुक्त दोनों को Fair Trial का अधिकार है और जब परिवादिया की साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सके और उसकी साक्ष्य संदेह उत्पन्न करे तो न्यायालय को अन्य संपुष्टिकारक साक्ष्य की ओर गौर करना चाहिए। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **मानक चंद बनाम हरियाणा राज्य** Criminal appeal No. **2276** of **2014** दिनांक 30.10.2023 में प्रतिपादित किया है। परिवादिया की साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत मामले में परिवादिया की साक्ष्य अभियोजन कहानी के संदर्भ में विश्वास पैदा नहीं करती है व अन्य सभी मुख्य गवाह पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहे हैं। जिससे उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में परिवादिया शकुंतला द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए कथनों के आधार पर यह कतई प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त भूपसिंह द्वारा परिवादिया के साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना बार-बार जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्कार किया गया हो तथा परिवादिया की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसकी नहाते समय की खींची गई फोटो को वायरल कर बदनाम करने की धमकी देकर दुष्प्रेरण का अपराध किया हो। न ही उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि कब, किस प्रकार व किन परिस्थितियों में तथा किन फोटोज को अभियुक्त भूपसिंह द्वारा परिवादिया को दिखाकर उसे डराया-धमकाया जाकर दुष्प्रेरण का अपराध किया गया।

38. अतः उपरोक्त साक्ष्य के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 26.03.2018 या उससे पूर्व किसी समय अभियुक्त भूप सिंह द्वारा परिवादिया शकुंतला के घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित करते हुए परिवादिया की इच्छा व सहमति के बिना बार-बार जबरन लैंगिक संभोग कर बलात्कार किया तथा उसे उसके नहाते समय की फोटो को वायरल करने की धमकी देकर दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया हो। अतः अभियुक्त भूपसिंह को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 450, 376(2), 109 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

--आदेश--

39. फलतः अभियुक्त **भूपसिंह पुत्र ओमप्रकाश, उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्वालीसर, पुलिस थाना सिद्धमुख, जिला चूरू** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 450, 376(2), 109 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437 (क) दं0प्र0सं0 के तहत इस न्यायालय की संतुष्टि के दस हजार रूपये का निजी मुचलका और जमानतनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए। प्रकरण में जब्तशुदा माल, यदि कोई हो, बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(सागर माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम संख्या-02, राजगढ़,
जिला चूरू

40. यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सागर माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम संख्या-02, राजगढ़,
जिला चूरू